334

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0– पि0व0/आ0क0वि0स0–50–01/2016– 68

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर, भा0प्र0से0
निदेशक।

सेवा में,

Mail

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 30/1/26

विषयः– **विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में सभी छात्राओं को एक सुरक्षित संरक्षित और सर्वांगीण विकास के अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से स्कूलों में छेड़छाड़ और यौन शोषण जैसी चुनौतियों के लिए जागरूकता बढ़ाना और अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।

2. POCSO Act, 2012 के अनुपालन हेतु निम्नवत् कार्रवाई की जानी है :–

(I) विद्यालय शिकायत समिति का गठन :– छात्राओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए एक अलग सुरक्षा तंत्र आवश्यक है, जिसके लिए POCSO Act, 2012 के तहत कमिटी का गठन अनिवार्य है, जो निम्नरूपेण है :–

- **संरचना** :– **(i) अध्यक्ष** :– प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
  (ii) सदस्य :– एक पुरूष शिक्षक, एक महिला शिक्षक, एक छात्रा एवं एक गैर शिक्षक कर्मी।
- **उद्देश्य** :– बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार (Sexual Abuse) को रोकना और रिपोर्ट करना शामिल है।

(II) शिकायत/सुझाव पेटी :– प्रत्येक विद्यालय परिसर में प्रमुख स्थानों पर शिकायत/सुझाव पेटी लगाना अनिवार्य होगा, ताकि छात्रा लिखित शिकायतें दर्ज कर सके। यौन शोषण की कोई भी शिकायत, चाहे वह ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से प्राप्त हो या किसी अन्य माध्यम से, उस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जायेगी।

(III) विद्यालय की भूमिका :– इस अधिनियम के प्रावधान से विद्यालय प्रबंधन को अवगत कराया जाना है, विशेषकर धारा– 19 (1) एवं धारा–21। धारा–19 (1) के तहत Sexual offence के मामले में रिपोर्ट करना अनिवार्य है तथा धारा–21 में रिपोर्ट नहीं करने पर दण्ड का भी प्रावधान है।

(IV) चाईल्ड हेल्प लाईन न0 :– केन्द्रीकृत चाईल्ड हेल्प न0–1098 का प्रचार प्रसार किया जाय और इसे विद्यालयों के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही ऐसे मामले को संभालने के लिए नियुक्त शिक्षकों के नाम भी लिखा जाय।

(V) विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श सुविधाओं का प्रावधान :– सामान्य तौर पर शिक्षकों को किशोर (लिंग) संबंधी मुद्दो पर ध्यान देने, किशोर शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करने, Good/Bad Touch के बारे में शिक्षित करना तथा संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाले विशेष गतिविधियों का संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जाय।

333

विद्यालय संचालन से संबंधित सभी शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कर्मी एवं आउट सोर्सिंग के आधार पर विद्यालय में कार्यरत कर्मी जैसे :– सुरक्षा प्रहरी, मेस कर्मी, विद्यालय परिचारी/कार्यालय परिचारी, वाहन चालक आदि के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाय। उक्त प्रशिक्षिण में अन्य बातों के अलावा भावनात्मक रूप से परेशान छात्राओं की देखभाल, छात्राओं की काउंसेलिंग और छात्राओं को किशोरावस्था की चुनौतियों की सामना करने के लिए, छात्राओं को व्यक्गित देखभाल और मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है। सभी संवेदनशील स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 (CCTV) कैमरे लगाया जाय तथा सत्त Monitoring किया जाय।

3. इस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य/सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि POCSO Act, 2012 के सुसंगत प्रावधानों एवं तत्संबंधी निर्देश का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित किया जाय।

4. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का संचालन हेतु विभागीय पत्रांक–822, दिनांक–06.04.2022 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/01/26

(अनिल कुमार ठाकुर)

निदेशक।

ज्ञापांक– पि0व0/7/आ0क0वि0प्र0 एंव संधा0–39–04/2024–68 पटना, दिनांक– 30/1/26

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं उपरोक्त अनुपालनार्थ प्रेषित।

30/01/26

निदेशक।